न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 88/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 17 मार्च 2025 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम रायपुरिया तहसील आगर स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 93.210 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	105	11.820	5.22
2	128	22.270	18.89
3	137	1.250	0.56
4	130	6.500	4.05
5	78	49.280	44.28
6	129	2.090	1.96
	कुल किता 6	**111.21 हेक्टेयर**	**74.96 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया दो समाचार पत्र (दैनिक भास्कर एवं नईदुनिया) में भी विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक 135-141 कानड दिनांक 15.02.2024 से अधीक्षण यंत्री , संचा/संधा म.प्र.प.क्ष.वि.वि.कं.लिमि. आगर , कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. (भ/प) संभाग आगर मालवा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन को अभिमत हेतु पत्र लिख गया किन्तु उनकी ओर से अभिमत अप्राप्त है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यत: पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत /परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेंगा की उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अत: कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत चकबडाबीड के द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पटवारी रायपुरिया द्वारा रिर्पोट में उल्लेखित किया कि आवेदित सर्वे क्रमांक 78 रकबा 49.28 हेक्टेयर में से 21.2 हेक्टेयर पर तालाब बांध तथा अतिक्रमण एवं रास्ता होने से 28.08 हेक्टेयर भूमि रिक्त है। सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.8 हेक्टेयर में से 2.10 हेक्टेयर पर तालाब आदि एवं अतिक्रमण होने से 9.72 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 128 रकबा 22.27 रकबा 5.15 हेक्टेयर भूमि रास्ता , तलाई अतिक्रमण होने से 17.12 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 130 रकबा 6.50 हेक्टेयर में से 1.20 हेक्टेयर पर अतिक्रमण एवं तालाब होने से 5.30 हेक्टेयर तथा सर्वे 137 रकबा 1.25 हेक्टेयर में से 0.80 हेक्टेयर भूमि रिक्त भूमि है। इस प्रकार कुल आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे नं. 78 रकवा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि रिकक्त होकर उपलब्ध है। आवेदित भूमि 78, 105,128,129,130 एवं 137 वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था को आवंटित किये जाने का उल्लेखित किया गया है किन्तु आवेदित सर्वे नम्बरों में प्रस्तावित सर्वे नम्बरों पर वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं है। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम रायपुरिया की सिंचित

भूमि 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार) प्रति हे. के मान से है, आवंटन हेतु कुल प्रस्तावित 61.02 है. भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारिण 9,37,26,720 (नौ करोड सैतीस लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रूपये) होता है। नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकवा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था के आवेदन पर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकवा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4/ ग्राम पंचायत चकबडाबीड तहसील आगर के द्वारा दिनांक 9.6.2024 को ठहराव प्रस्ताव पारित कर उल्लेखित किया कि ग्राम रायपुरिया की भूमि आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है अत: वृक्षारोपण में पानी तालाब द्वारा पिलायें जाने का प्रस्ताव रखा था जिस पर ग्राम वासी सहमत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में ठोस कारण नहीं होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकवा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 भोपाल दिनांक **05.01.2021** के अनुसार ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 9,37,26,720 (नौ करोड सैतीस लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

प्रकरण क्रमांक 88/अ-20(3)/2023-24

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

R-lingC 17/3/25

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2025/259 आगर मालवा, दिनांक 17 /3/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

R-lingC 17/3/25

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:रायपुरिया			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614430361 81JRS8D93898H0	78/2 (S)		28.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-26 | दिनांक: 16-04-2025 14:41:48

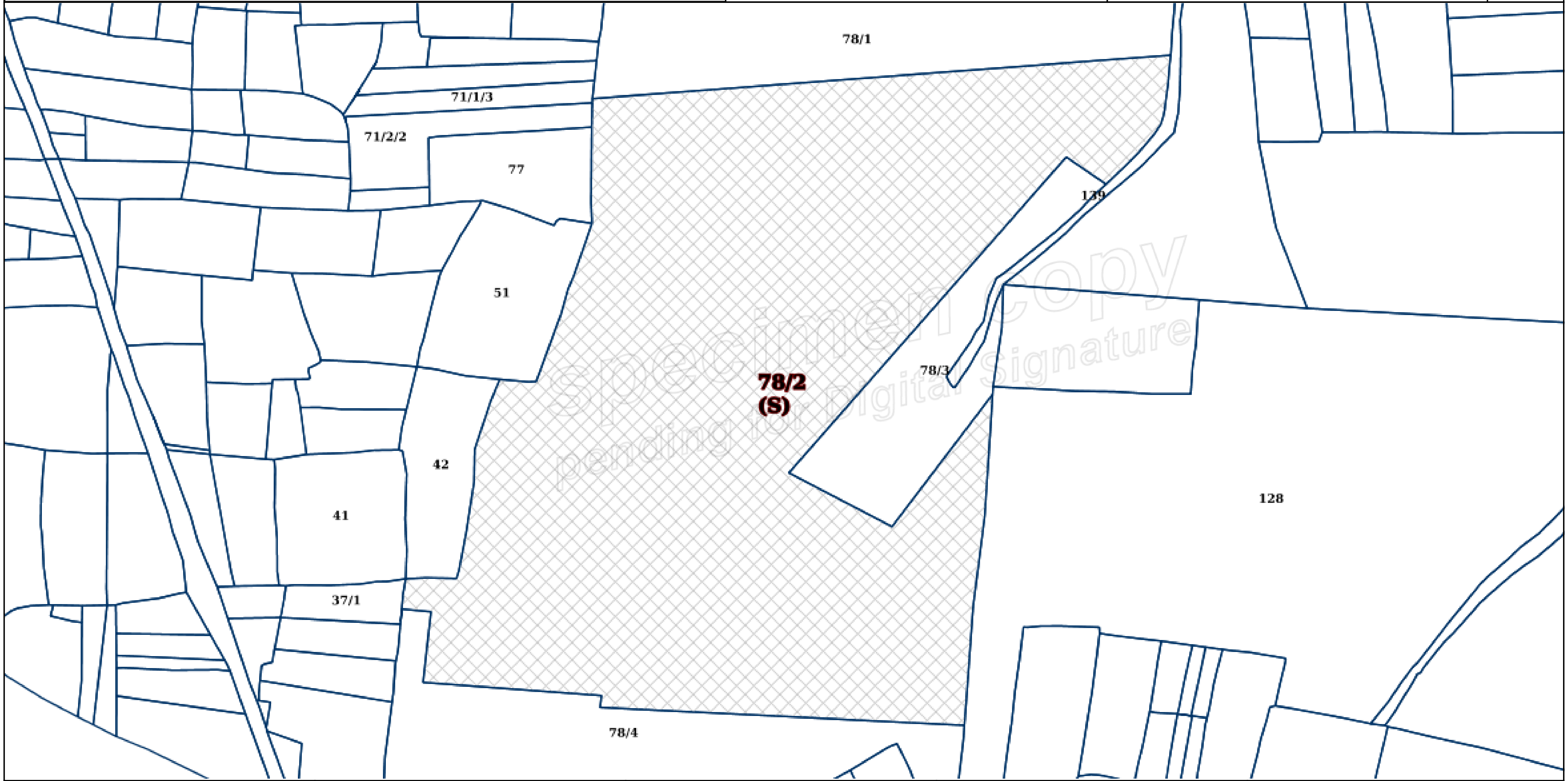

ब्लॉक सं.:	ग्राम:रायपुरिया	हल्का:चकबड़ाबीड़	तहसील: आगर	जिला:आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.:	78/2(S)	क्षेत्रफल:28.0800(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167629803

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161594 6174 81JQ7P D93HM BH0	105/2 (S)		9.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि		N W E S
	वर्ष: 2025-26	दिनांक : 02-05-2025 14:33:38	

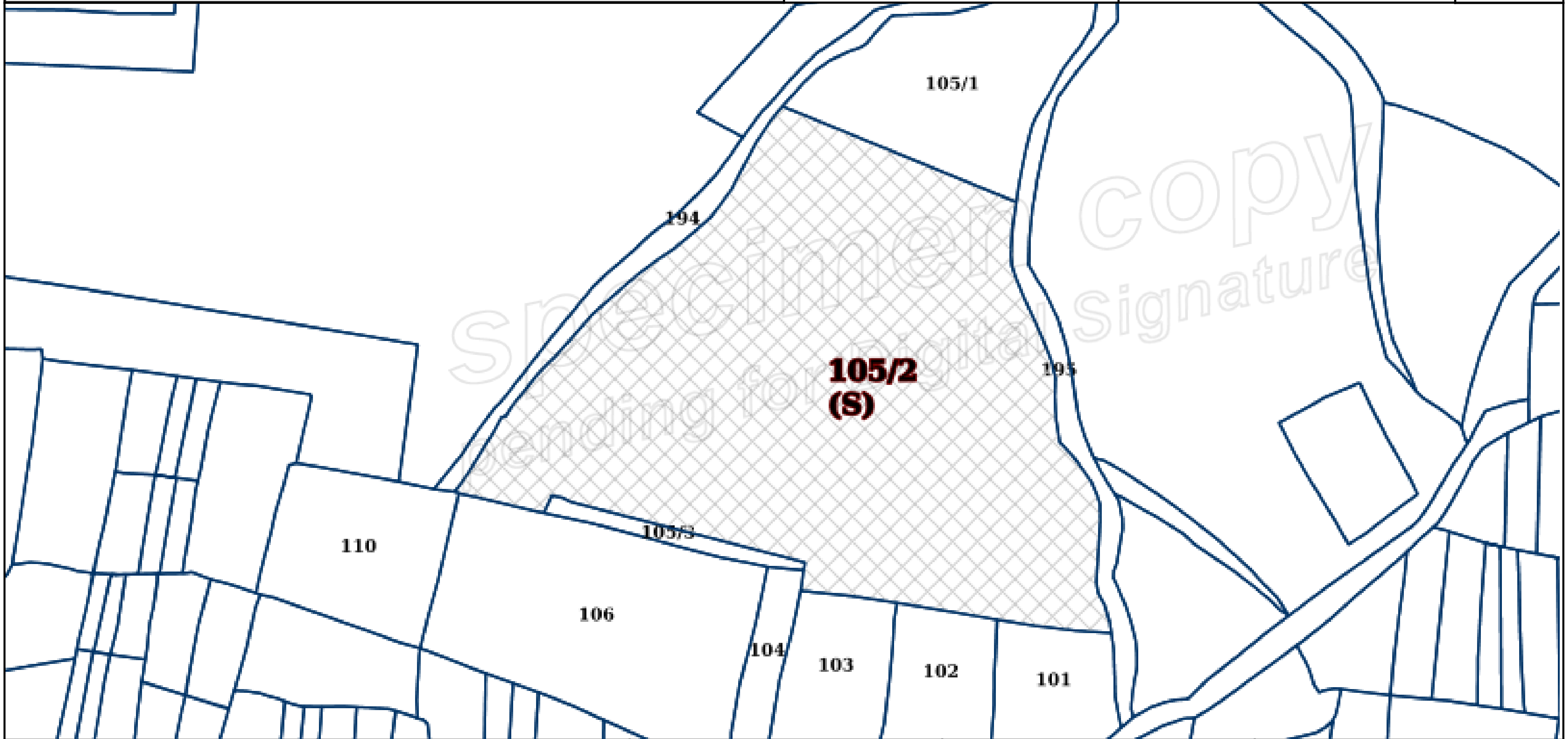

specimen copy
pending for digital signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:रायपुरिया	हल्का:चकबड़ाबीड़	तहसील:आगर	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 105/2(S)	क्षेत्रफल:9.7200(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167631093

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615946139 81JQ22D93DGEH0	128/2 (S)		17.1200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय ---आदेशकर्ता चयन करें--- के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि	
	वर्ष: 2025-26	दिनांक: 02-05-2025 14:35:03

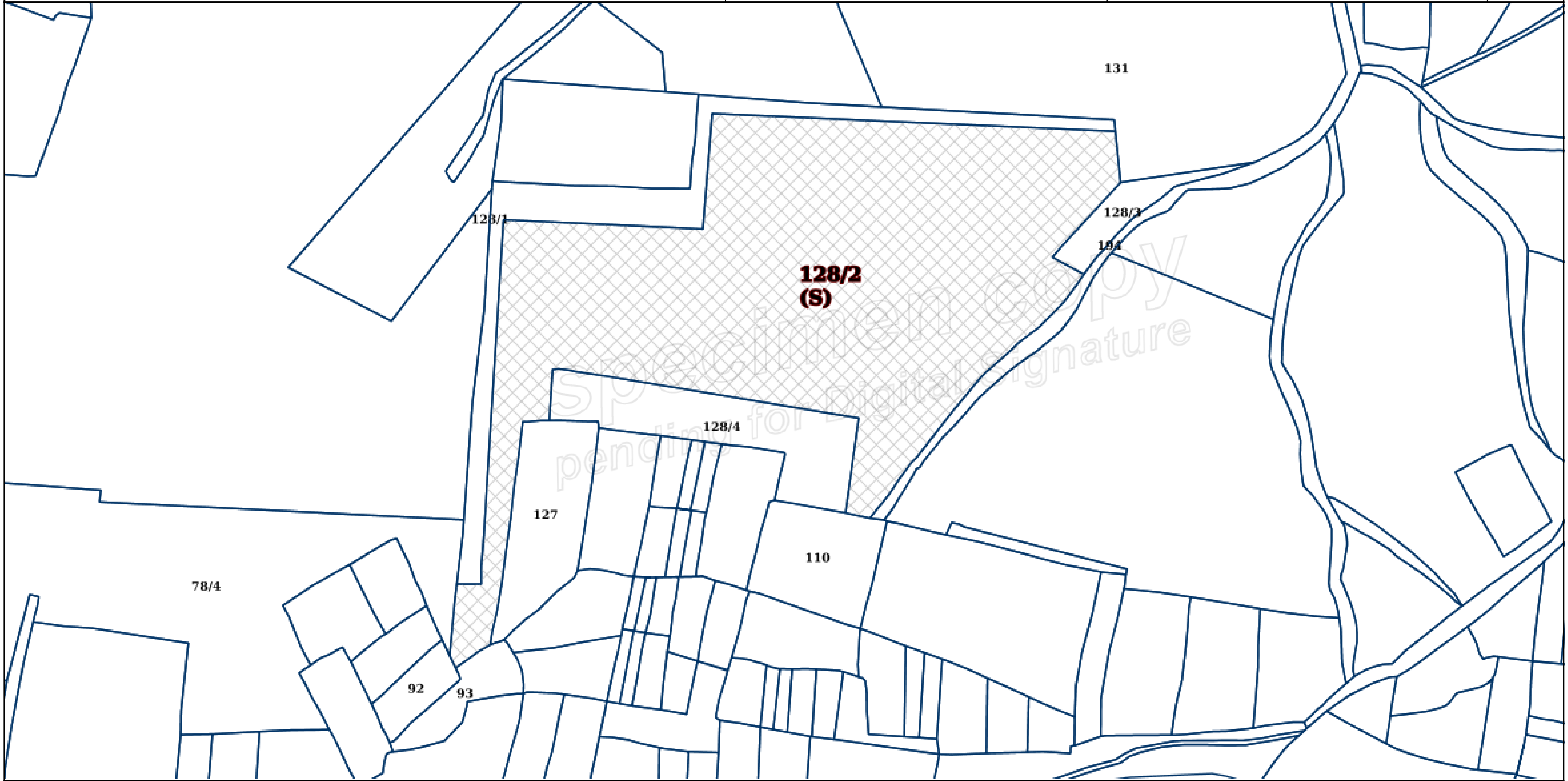

specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:रायपुरिया	हल्का:चकबड़ाबीड़	तहसील: आगर	जिला:आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.:	128/2(S)	क्षेत्रफल:17.1200(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167641818

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615946106 81JU5AD93DAMH0	130/2 (S)		5.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि		
वर्ष: 2025-26	दिनांक: 02-05-2025 14:50:19	N W E S

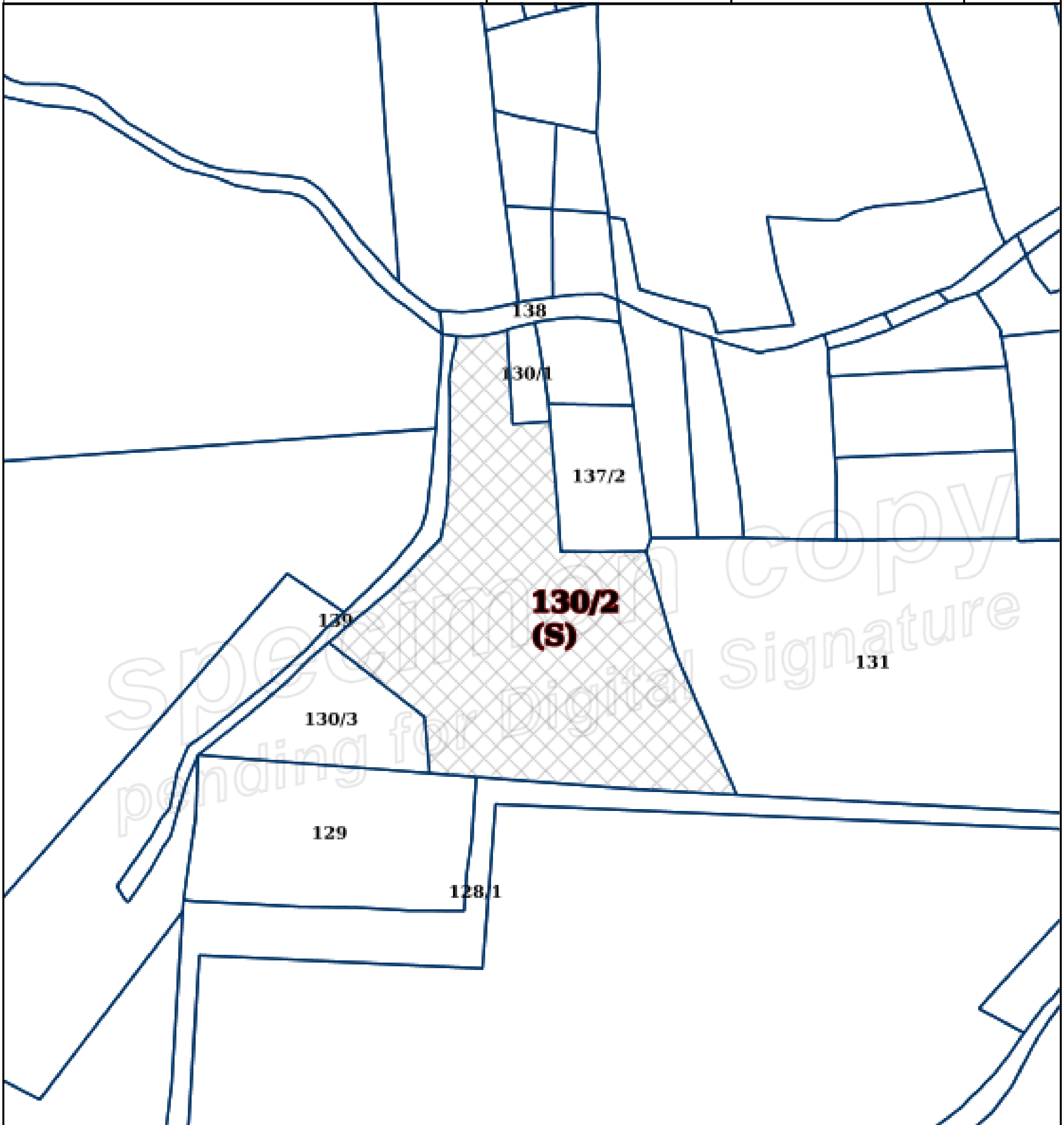

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	रायपुरिया	चकबड़ाबीड़	आगर	आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
130/2(S)	5.3000(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167631932

specimen copy

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613756114 81JUKZD93E20H0	137/2 (S)		0.8000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-26	दिनांक: 16-04-2025 14:40:10	N W E S

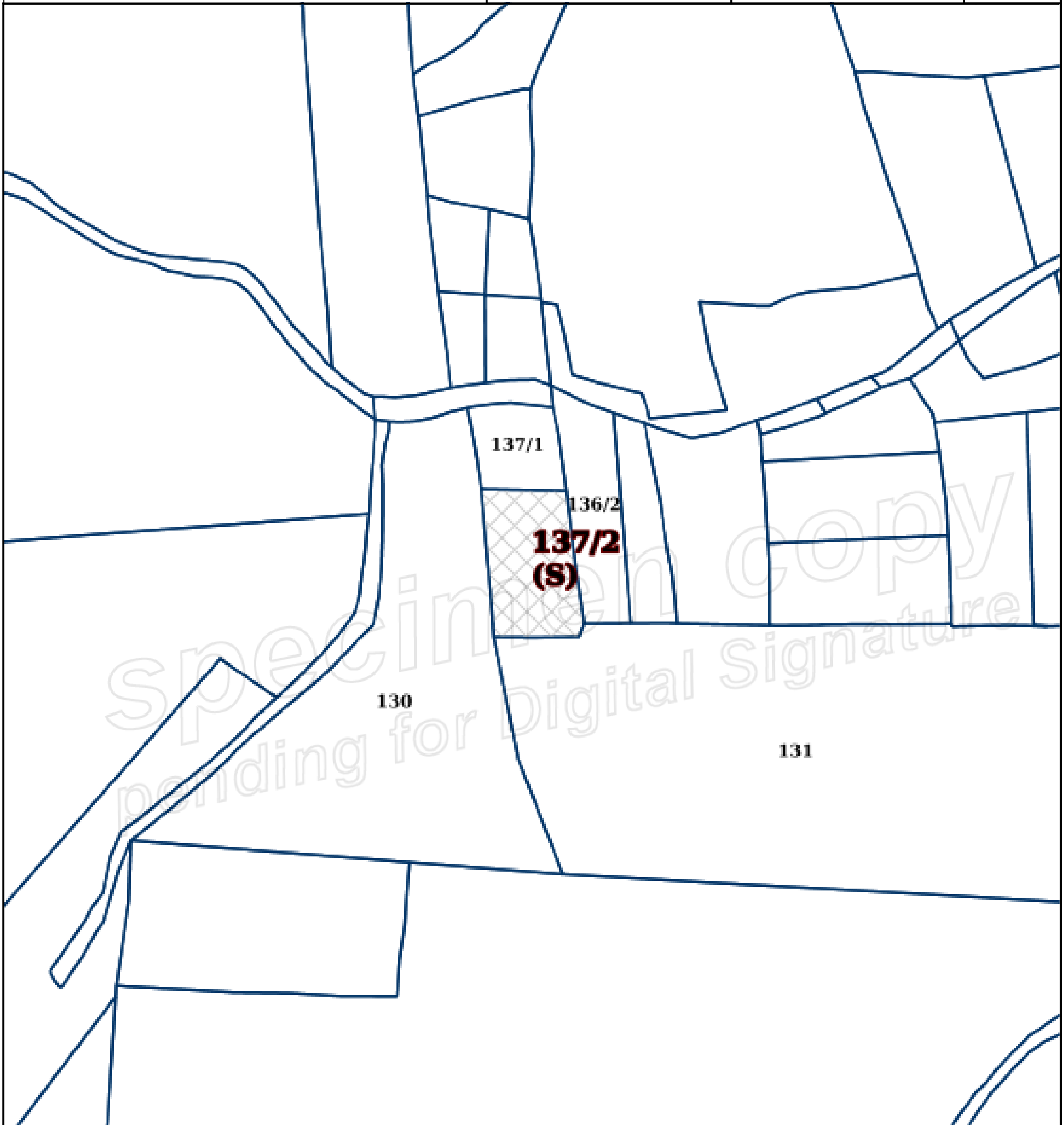

specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	रायपुरिया	चकबड़ाबीड़	आगर	आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.	**क्षेत्रफल**	**भू.रा.शा**	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
137/2(S)	0.8000(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |